प्रेस विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय से जुड़े प्रशासनिक कार्यो के सुगमतापूर्वक निर्वहन हेतु कुलसचिव के सहायतार्थ डा0 अनित परिहार, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड (एडिशनल प्रोफेसर), रेडियोडॉयग्नोसिस विभाग को विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमावली में उपबंधित व्यवस्थाओं के अधीन उप कुलसचिव के दायित्वों के निर्वहन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौपी गयी है। डा0 अनित परिहार द्वारा उप कुलसचिव का पदभार आज दिनांक 25 अप्रैल 2017 के पूर्वाह्न में ग्रहण कर लिया गया है।

इसके अतिरिक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय में संचालित की जा रही रोगी हित सुविधाओं के संदर्भ में मीडिया मित्रों के माध्यम से जनमानस को सुगमतापूर्वक अवगत कराने के उद्देश्य से प्रो0 नरसिंह वर्मा, आचार्य, फिजियोलोजी विभाग को चिकित्सा संकाय का फैकल्टी इन्चार्ज, मीडिया सेल एवं प्रवक्ता के रूप में तैनात किया गया है तथा प्रो0 विभा सिंह, आचार्य, ओरल एवं मैक्सिलोफेसियल सर्जरी विभाग को दंत विज्ञान संकाय हेतु फैकल्टी इन्चार्ज, मीडिया सेल एव प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौपी गयी है।

इसके पूर्व रोज की भॉति आज प्रातः भी मा0 कुलपति जी द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेण्टर एवं अन्य विभागों का औचक निरीक्षण किया गया तथा रोगी हित सुविधाओं के सुदृद्धिकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये।

मा0 कुलपति जी द्वारा अम्बेडकर नगर निवासी सुश्री तृप्ती पुत्री श्री मनोज कुमार की दिनांक 24.04.2017 को हुई आकस्मिक मृत्यु पर मृत्यु के वास्तविक कारणों की जॉच हेतु प्रो0 अर्चना कुमार, बाल विभाग की अध्यक्षता में एक 05 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मा0 कुलपति जी द्वारा गठित उक्त जांच समिति में प्रो0 अर्चना कुमार के अतिरिक्त प्रो0 विजय कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, प्रो0 एस0एन0संखवार, विभागाध्यक्ष, यूरोलोजी विभाग, प्रो0 नरसिंह वर्मा, फिजियोलोजी विभाग तथा प्रो0 आर0के0 दीक्षित, फार्माकोलोजी विभाग सम्मिलित है। विदित हो कि मरीज सुश्री तृप्ती के उपचार में चिकित्सकों द्वारा पूर्णतः सक्रियता के साथ नियमित रूप से उपचार मुहैया कराया जा रहा था तथा मरीज की स्थिति के सम्बंध में मरीज के तिमारदारों को भली भॉति अवगत करा दिया गया था। परन्तु चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद भी मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हो सका तथा दिनांक 24 अप्रैल 2017 को मरीज की मृत्यु हो गयी थी। मा0 कुलपति जी द्वारा उक्त समिति को प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।